संख्याः 8/2017/991/पैंतीस-2-2017

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2017**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0 का रख-रखाव के हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2017/409/पैंतीस-2-2017, दिनांक 20.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह हेतु लेखानुदान की धनराशि स्वीकृत की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास योजनाओं की समीक्षा एवं सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान, जिला योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा स्थापित जनपदों में कम्प्यूटर का रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि के समायोजन उपरान्त संलग्न विवरण अनुसार रू0 99.17 लाख (रू0 निन्यानबे लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

3- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आबंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

7- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-040 के लेखाशीर्षक-"3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-03- जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0" का रख-रखाव के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्याः 8/2017/991(1)/पैतीस-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्याः 8/2017/991 /पैंतीस-2-2017-दिनांक 25 अगस्त, 2017 का संलग्नक-1

अनुदान संख्या-040 लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-03-जिला स्तर पर स्थापित एन0आई0सी0 का रख-रखाव के अन्तर्गत-

(धनराशि लाख रूपयें में)

मानक मद	**वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान**	**वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान के सापेक्ष 05 माह हेतु निर्गत स्वीकृति**	**वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि**	**वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान के सापेक्ष लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृति**
08-कार्यालय व्यय	30.00	12.50	17.50	17.50
09-विदयुत देय	30.00	12.50	17.50	17.50
13-टेलीफोन पर व्यय	30.00	12.50	17.50	17.50
29-अनुरक्षण	30.00	12.50	17.50	17.50
42-अन्य व्यय	20.00	8.33	11.67	11.67
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	30.00	12.50	17.50	17.50
योग	**170.00**	**70.83**	**99.17**	**99.17**

(रू0 निन्यानबे लाख सत्रह हजार मात्र)

(पी0एन0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।